राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(31) छात्र./ पो./का. यो./ सान्याअवि/2020-21/ 53796 दिनांक 11/11/2020

छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय,राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट www. sjmsnew.Rajasthan.gov.in/scholarship के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की गई है:-

क्र.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	01 अक्टूबर, 2020
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	30 नवम्बर, 2020

आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट के पर उपलब्ध है।

जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मान्यता/सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी।

अतः उक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही करें। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

E/:letter and note sheet 2019-20/ 711

Scanned with CamScanner

क्रमांक : एफ9(4)(31)छात्र./सान्याअवि/2020-21/ 53797 दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त..............।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त..।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त..........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.................।
17. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त..............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने हेतु।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned with CamScanner